खण्ड–3

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2017-2018 के

आय–व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

जुलाई, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2017-2018 के

आय–व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय–व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय–व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष **2017-2018** के आय–व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

	(₹ लाख में)
क– राजस्व लेखा	**4273432.94**
ख– पूंजी लेखा	**1304763.35**
कुल योग :	**5578196.29**

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
002	आवास विभाग	2422.00	2000.00	...	4422.00	
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1475.00	...	...	1475.00	
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	1033.67	...	...	1033.67	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	17000.00	500.00	...	17500.00	
009	ऊर्जा विभाग	17672.00	6422.30	...	24094.30	
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2501.00	...	...	2501.00	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3244998.8	...	...	3244998.88	
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	6924.50	21702.00	...	28626.50	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	1700.00	2000.00	...	3700.00	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2010.94	...	...	2010.94	
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	...	600.00	1000.00	1600.00	
021	खाद्य तथा रसद विभाग	7600.00	...	...	7600.00	
022	खेल विभाग	185.29	300.00	...	485.29	
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	25000.00	6000.00	...	31000.00	
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2333.33	500.00	64442.63	67275.96	
025	गृह विभाग (कारागार)	1.00	902.00	...	903.00	
026	गृह विभाग (पुलिस)	5791.81	1000.00	...	6791.81	
029	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	20.00	...	...	20.00	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2621.00	62022.00	...	64643.00	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	...	5500.00	...	5500.00	
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	2450.00	...	...	2450.00	
037	नगर विकास विभाग	282056.00	50000.00	53700.00	385756.00	
038	नागरिक उड्डयन विभाग	500.00	...	...	500.00	
040	नियोजन विभाग	12.40	30824.11	...	30836.51	
042	न्याय विभाग	7380.00	34212.00	...	41592.00	
043	परिवहन विभाग	...	500.00	...	500.00	
044	पर्यटन विभाग	300.00	226500.00	...	226800.00	
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	37700.00	500.00	...	38200.00	

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	469.71	14122.50	...	14592.21	
051	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	90.80	...	...	90.80	
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	2967.00	...	...	2967.00	
056	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	...	34000.00	...	34000.00	
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	5500.00	5000.00	...	10500.00	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	14000.00	619200.00	...	633200.00	
060	वन विभाग	...	100.00	...	100.00	
067	विधान परिषद् सचिवालय	...	800.00	...	800.00	
068	विधान सभा सचिवालय	377.00	227.25	...	604.25	
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	5276.00	400.00	...	5676.00	
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	...	...	3000.00	
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	31784.26	...	...	31784.26	
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2500.48	...	...	2500.48	
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	8678.90	...	...	8678.90	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	20.00	...	...	20.00	
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	811.94	...	...	811.94	
079	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	60.00	6000.00	...	6060.00	
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	25000.00	...	...	25000.00	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	5925.00	1155.00	...	7080.00	
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	442585.13	23545.98	6300.00	472431.11	
084	सामान्य प्रशासन विभाग	500.00	3500.00	...	4000.00	
087	सैनिक कल्याण विभाग	1000.00	...	...	1000.00	
088	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	400.00	...	...	400.00	
089	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	465.90	349.25	...	815.15	
092	संस्कृति विभाग	300.00	2293.00	...	2593.00	
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	50000.00	16643.33	...	66643.33	
095	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	32.00	...	...	32.00	
	कुलयोग	4273432.94	1179320.72	125442.63	5578196.29	

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
002	2202-सामान्य शिक्षा	1-संस्कृति स्कूल, लखनऊ के संचालन हेतु सी.एस.आई. एजूकेशनल सोसाइटी को अनुदान	222.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	222.00
	2216-आवास	2-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हडको से लिये गये देय ब्याज का भुगतान	2200.00
		लेखा शीर्ष 2216 का योग	2200.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3-आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना	2000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	4422.00
003	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हस्तशिल्पियों तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण	75.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण	400.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	1475.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	1475.00
005	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-कम्बल उत्पादन केन्द्र, गोपीगंज, भदोही का पुनर्संचालन	34.55
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना	999.12
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	1033.67
		अनुदान संख्या 005 का योग	1033.67
007	2852-उद्योग	1-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु यूपिडा द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर देय ब्याज का भुगतान	13500.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	13500.00
	2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	2-नई औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन, प्रदेश में निवेश के प्रोत्साहन हेतु विशेष निवेश बोर्ड एवं उद्योगों के लिये सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सेल की स्थापना	3500.00
		लेखा शीर्ष 2885 का योग	3500.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3-लखनऊ में इन्क्यूबेटर की स्थापना	500.00
		लेखा शीर्ष 4859 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	17500.00
009	2801-बिजली	1-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. की परियोजनाओं की स्थापना, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	1367.00
	2801-बिजली	2-पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज	9138.00
	2801-बिजली	3-विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की ब्याज सहित अदायगी	7167.00
		लेखा शीर्ष 2801 का योग	17672.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु बढ़ी हुयी लागत की प्रतिपूर्ति	4000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-भारत सरकार की पी.एस.डी.एफ. योजनान्तर्गत पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी	2422.30
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	6422.30
		अनुदान संख्या 009 का योग	24094.30
010	2401-फसल कृषि कर्म	1-फल पटिट्यों के विकास की योजना	1.00
	2401-फसल कृषि कर्म	2-लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना	2500.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	2501.00
		अनुदान संख्या 010 का योग	2501.00
011	2401-फसल कृषि कर्म	1-अतिदोहित / क्रिटिकल / सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना	1041.60
	2401-फसल कृषि कर्म	2-लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान	3239900.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	3240941.60
	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	3-पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	1000.00
	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	4-मृदा सर्वेक्षण कार्यक्रम	101.00
	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	5-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना	1956.28

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2402 का योग	3057.28
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	6-कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय, फैजाबाद के अन्तर्गत धान पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	200.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	7-कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	200.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	8-कृषि प्रौघोगिकी एवं विज्ञान विश्वविघालय, इलाहाबाद के अन्तर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यन्त्रों पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	200.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	9-कृषि विश्वविघालय, बाँदा के अन्तर्गत शुष्क खेती पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	200.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	10-चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय, कानपुर के अन्तर्गत गेहूँ एवं सब्जी पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	200.00
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 011 का योग	3244998.88
013	2216-आवास	1-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु राज्याँश के लिये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की अदायगी	6600.00
		लेखा शीर्ष 2216 का योग	6600.00
	2702-लघु सिंचाई	2-राज्य भू-जल संरक्षण मिशन	324.50
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	324.50
	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3-विकास भवन, गोरखपुर का जीर्णोद्धार	300.00
	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4-श्यामा प्रसाद मुखर्जी र्स्बन मिशन	21360.00
		लेखा शीर्ष 4515 का योग	21660.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5- राज्य भू-जल संरक्षण मिशन	42.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	42.00
		अनुदान संख्या 013 का योग	28626.50
014	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1-पंचायतीराज निदेशालय के अधिकारियों, मण्डलीय	200.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		उपनिदेशक (पं.) एवं जिला पंचायतराज अधिकारियों को शासकीय वाहन	
	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	1500.00
		लेखा शीर्ष 2515 का योग	1700.00
	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 चन्द्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना	2000.00
		लेखा शीर्ष 4515 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 014 का योग	3700.00
015	2403-पशु पालन	1- उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल का संचालन	70.45
	2403-पशु पालन	2-गौशालाओं में अवस्थापना विकास हेतु गौ सेवा आयोग को अनुदान	1000.00
	2403-पशु पालन	3-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फॉर शीप एण्ड गोट	940.49
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	2010.94
		अनुदान संख्या 015 का योग	2010.94
018	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	1-आई.सी.डी.पी. योजना	600.00
		लेखा शीर्ष 4425 का योग	600.00
	6425-सहकारिता के लिये कर्ज	2-आई.सी.डी.पी. योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 6425 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 018 का योग	1600.00
021	2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	1-राशन कार्डों में दर्ज़ यूनिट की आधार सीडिंग	7600.00
		लेखा शीर्ष 2408 का योग	7600.00
		अनुदान संख्या 021 का योग	7600.00
022	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	1-पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	185.29
		लेखा शीर्ष 2204 का योग	185.29
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद गोरखपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोरखपुर में खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत / सुदृढ़ीकरण	300.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	300.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 022 का योग	485.29
023	3054-सड़क तथा सेतु	1-सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना एवं अनुरक्षण कार्य	25000.00
		लेखा शीर्ष 3054 का योग	25000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण / पुनर्निर्माण	3000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण	3000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	6000.00
		अनुदान संख्या 023 का योग	31000.00
024	2401-फसल कृषि कर्म	1-गन्ना शोध, विकास एवं प्रशिक्षण योजना	2333.33
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	2333.33
	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	2-गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुनर्स्थापना	500.00
		लेखा शीर्ष 4415 का योग	500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	3-चीनी मिल, मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना	27000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	4-पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल, कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना	27375.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	5-सठियांव चीनी मिल, आज़मगढ़ की क्षमता विस्तार, को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी हेतु	1667.63
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	6-सहकारी चीनी मिल, रमाला की पेराई क्षमता विस्तार हेतु	8400.00
		लेखा शीर्ष 6860 का योग	64442.63
		अनुदान संख्या 024 का योग	67275.96
025	2056-जेलें	1-कारागार कर्मचारियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	1.00
		लेखा शीर्ष 2056 का योग	1.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-कारागारों में अग्निशमन के उपाय हेतु	178.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-कारागारों में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर	204.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4-कारागारों में पाकशालाओं का आधुनिकीकरण	500.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	परिव्यय		
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-कारागारों हेतु वाहनों की व्यवस्था	20.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	902.00
		अनुदान संख्या 025 का योग	903.00
026	2055-पुलिस	1-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण	2400.00
	2055-पुलिस	2-जनपद उन्नाव की पुलिस चौकी बेहटा मुजावर को उच्चीकृत कर थाना बनाया जाना	20.00
	2055-पुलिस	3-पुलिस रिकार्ड का डिजिटाइजेशन	600.00
	2055-पुलिस	4-पुलिस विभाग में कनेक्टिविटी	2137.81
	2055-पुलिस	5-स्पैक्ट्रम चार्जेज के भुगतान हेतु	634.00
		लेखा शीर्ष 2055 का योग	5791.81
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	6-विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों का क्रय	1000.00
		लेखा शीर्ष 4055 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 026 का योग	6791.81
029	2012-राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	1-श्री राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में वृद्धि	20.00
		लेखा शीर्ष 2012 का योग	20.00
		अनुदान संख्या 029 का योग	20.00
031	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में विभिन्न योजनाओं का संचालन	121.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर	2500.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	2621.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में विभिन्न योजनाओं का संचालन	779.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-जिला चिकित्सालयों का मेडिकल कालेज के रूप में उच्चीकरण	50000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर की स्थापना	3600.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत	6-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा की	1500.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	परिव्यय	स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं उपकरणों का क्रय	
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना	1000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में उपकरणों का क्रय	1500.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में "टर्शरी केयर कैन्सर केन्द्र" की स्थापना	1143.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	10- संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर	2500.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	62022.00
		अनुदान संख्या 031 का योग	64643.00
032	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों / औषधालयों में अग्निशमन व्यवस्था	3000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर का भवन निर्माण	500.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था	2000.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	5500.00
		अनुदान संख्या 032 का योग	5500.00
036	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-जन्म-मृत्यु सम्बन्धी आँकड़ों का पंजीयन और संग्रहण	450.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-वेक्टर जनित डिज़ीज नियंत्रण कार्यक्रम	2000.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	2450.00
		अनुदान संख्या 036 का योग	2450.00
037	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना	4000.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	4000.00
	2217-शहरी विकास	2-पशु जनित स्वच्छ आहार योजना	2000.00
	2217-शहरी विकास	3-प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन	234200.00
	2217-शहरी विकास	4-प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के लिये वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण की ब्याज अदायगी हेतु सहायता	2956.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2217-शहरी विकास	5-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना	22500.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	261656.00
	2230-श्रम तथा रोजगार	6-दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	16400.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	16400.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-अर्द्धकुम्भ मेला, 2019 का आयोजन	50000.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	50000.00
	6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	8-पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	23700.00
		लेखा शीर्ष 6215 का योग	23700.00
	6217-शहरी विकास के लिये कर्ज	9-उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्मिकों के लम्बित वेतन / पेंशन के भुगतान हेतु ब्याज रहित ऋण की प्रतिपूर्ति	30000.00
		लेखा शीर्ष 6217 का योग	30000.00
		अनुदान संख्या 037 का योग	385756.00
038	3053-नागर विमानन	1-भारत सरकार द्वारा संचालित रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम (आर.सी.एस.) के अन्तर्गत वायविलिटी गैप फण्डिंग	500.00
		लेखा शीर्ष 3053 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 038 का योग	500.00
040	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	1-राज्य पोषित कल्याणकारी योजनाओं में एन.जी.ओ. की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वेबसाइट / पोर्टल का निर्माण	12.40
		लेखा शीर्ष 3451 का योग	12.40
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-त्वरित आर्थिक विकास योजना	500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	500.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3-त्वरित आर्थिक विकास योजना	3022.11
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	3022.11
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-त्वरित आर्थिक विकास योजना	802.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	802.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-त्वरित आर्थिक विकास योजना	26500.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	26500.00
		अनुदान संख्या 040 का योग	30836.51
042	2014-न्याय प्रशासन	1-उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के गोमतीनगर, लखनऊ में निर्मित भवन की साफ-सफाई हेतु मशीन का क्रय	50.00
	2014-न्याय प्रशासन	2-नवसृजित जनपदों के सी.जे.एम. के लिये वाहन का क्रय	30.00
	2014-न्याय प्रशासन	3-महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु 100 अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना / संचालन	2000.00
	2014-न्याय प्रशासन	4-माननीय न्यायमूर्तिगण के उपयोगार्थ वाहनों का क्रय	300.00
		लेखा शीर्ष 2014 का योग	2380.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5-मध्यस्थों को मानदेय का भुगतान	5000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	5000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-जनपदों में ए.डी.आर. सेन्टर का निर्माण	1500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में 5 सीटेड / 10 सीटेड सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	2000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोलर पॉवर सिस्टम	2000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	5500.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-जनपद न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन	25000.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिये एल्गिन रोड, इलाहाबाद स्थित रक्षा मंत्रालय के बंगला नम्बर-1 का क्रय	3712.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	28712.00
		अनुदान संख्या 042 का योग	41592.00
043	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-गोरखपुर में सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण	500.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 043 का योग	500.00
044	3452-पर्यटन	1-रामायण कान्क्लेव का आयोजन	300.00
		लेखा शीर्ष 3452 का योग	300.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	2-गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स का विकास	2500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद मथुरा में नगला - चन्द्रभान का पर्यटन विकास	500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	20000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5-प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलिकॉप्टर सेवा का संचालन	2500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	6-प्रासाद योजनान्तर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	80000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	7-विन्ध्याचल का पर्यटन विकास	1000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8-स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में विभिन्न परिपथ एवं सर्किट का विकास	120000.00
		लेखा शीर्ष 5452 का योग	226500.00
		अनुदान संख्या 044 का योग	226800.00
049	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-महिला समाख्या कार्यक्रम	1000.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-मातृत्व लाभ कार्यक्रम	10000.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-वृन्दावन में स्थित 05 राजकीय आश्रय सदनों की निराश्रित महिलाओं के लिये उपलब्ध सुविधाओं में आवश्यक सुधार	500.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4-शबरी संकल्प अभियान	26200.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	37700.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5-वृन्दावन में नवीन वृद्धाश्रम का निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 049 का योग	38200.00
050	2053-जिला प्रशासन	1-कलेक्ट्रेट / तहसील भवनों में फर्नीचर एवं उपकरण	232.69
	2053-जिला प्रशासन	2-मण्डलायुक्त, जनपद कार्यालयों व तहसील	137.02

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने हेतु ऑन-लाइन बायोमैट्रिक्स सिस्टम	
	2053-जिला प्रशासन	3-राजस्व न्यायिक अधिकारियों को वाहन की सुविधा	100.00
		लेखा शीर्ष 2053 का योग	469.71
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय तथा तहसीलों में न्यायिक तहसीलदार / नायब तहसीलदारों हेतु पृथक शौचालय ब्लाक	10122.50
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	10122.50
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	5-प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय	4000.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	4000.00
		अनुदान संख्या 050 का योग	14592.21
051	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1-आपदा मित्रों का प्रशिक्षण	90.80
		लेखा शीर्ष 2245 का योग	90.80
		अनुदान संख्या 051 का योग	90.80
052	2029-भू-राजस्व	1-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लेखपालों / राजस्व निरीक्षकों को स्मार्टफोन	2917.00
		लेखा शीर्ष 2029 का योग	2917.00
	2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें	2-तालाब विकास प्राधिकरण का गठन	50.00
		लेखा शीर्ष 2052 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 052 का योग	2967.00
056	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें	20000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	14000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	34000.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
		अनुदान संख्या 056 का योग	34000.00
057	3054-सड़क तथा सेतु	1-सेतु निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज का भुगतान	5500.00
		लेखा शीर्ष 3054 का योग	5500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	5000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 057 का योग	10500.00
058	3054-सड़क तथा सेतु	1-उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम / उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण का भुगतान	14000.00
		लेखा शीर्ष 3054 का योग	14000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों व लघु सेतुओ का निर्माण	8000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-इण्डो-नेपाल बार्डर की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित मार्ग का निर्माण	500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-इण्डो-नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि-अध्याप्ति हेतु व्यवस्था	500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	600000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	100.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	619200.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	633200.00
060	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	1-जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास	100.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	100.00
		अनुदान संख्या 060 का योग	100.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
067	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य	300.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधान परिषद् मण्डप में डिजिटल साउण्ड सिस्टम बदलने तथा मण्डप लॉबी में फर्नीचर, आदि का नवीनीकरण	500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	800.00
		अनुदान संख्या 067 का योग	800.00
068	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	1-उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में स्थापित आधुनिक डिजिटल ध्वनि प्रणाली का अनुरक्षण	20.00
	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	2-माननीय विधान सभा सदस्यों का स्मार्ट कार्ड बनवाया जाना	5.00
	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	3-विधान मण्डल पुस्तकालय में संग्रहीत पेपर क्लिपिंग, साधारण तथा असाधारण गजट आदि का डिजिटाइजेशन	200.00
	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	4-विधान सभा की कार्यवाहियों का डिजिटाइजेशन	80.00
	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	5-विधान सभा की कार्यवाहियों का डिजिटाइजेशन का मोबाइल-एप बनवाया जाना	72.00
		लेखा शीर्ष 2011 का योग	377.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-विधान पुस्तकालय के अंग्रेजी खण्ड व भूगर्भ खण्ड के बरामदे में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य	105.09
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-विधान सभा के अधिष्ठान अनुभाग के बरामदे में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य तथा प्रतिवेदक कक्ष, कक्ष संख्या-49 सिविल कार्य एवं कक्ष संख्या-08 का नवीनीकरण / उच्चीकरण	32.79
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-विधान सभा के समस्त कॉरीडोर में फाल्स सीलिंग एवं खिड़कियों में अपारदर्शी सोलर फिल्म लगाया जाना तथा कक्ष संख्या-10 'ग' को गार्ड रूम के रूप में विकसित किया जाना	53.49
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-विधान सभा सचिवालय के उत्तरी प्रसार स्थित सर्वर रूम के पीछे बरामदे को प्रोटोकाल अनुभाग के रूप में विकसित किये जाने तथा अन्य सिविल एवं विद्युत कार्य	35.88
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	227.25
		अनुदान संख्या 068 का योग	604.25
069	2230-श्रम तथा रोजगार	1-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन	5226.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2230-श्रम तथा रोजगार	2-'स्ट्राइव' परियोजनान्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण	50.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	5276.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-'स्ट्राइव' परियोजनान्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण	400.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	400.00
		अनुदान संख्या 069 का योग	5676.00
070	2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	1-पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन	3000.00
		लेखा शीर्ष 2810 का योग	3000.00
		अनुदान संख्या 070 का योग	3000.00
071	2202-सामान्य शिक्षा	1-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराया जाना	30000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत एल.पी.जी. कनेक्शन का क्रय	1784.26
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	31784.26
		अनुदान संख्या 071 का योग	31784.26
072	2202-सामान्य शिक्षा	1-पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज	2500.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना	0.48
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	2500.48
		अनुदान संख्या 072 का योग	2500.48
073	2202-सामान्य शिक्षा	1-अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना	2112.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-चयनित विश्वविद्यालयों / संस्थानों को चांसलर एवार्ड	16.90
	2202-सामान्य शिक्षा	3-प्रदेश के महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में शोध एवं विकास कार्यक्रम	400.00
	2202-सामान्य शिक्षा	4-लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना	200.00
	2202-सामान्य शिक्षा	5-विभिन्न विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना	900.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2202-सामान्य शिक्षा	6-विश्वविघालयों एवं महाविघालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑन-लाईन व्यवस्था	50.00
	2202-सामान्य शिक्षा	7-विश्वविघालयों एवं समस्त कालेजों में फ्री वाई-फाई सुविधा	5000.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	8678.90
		अनुदान संख्या 073 का योग	8678.90
076	2230-श्रम तथा रोजगार	1-महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये समिति का गठन	20.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	20.00
		अनुदान संख्या 076 का योग	20.00
078	2013-मंत्रि परिषद्	1-गम्भीर बीमारियों से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को इलाज हेतु मुख यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता	811.94
		लेखा शीर्ष 2013 का योग	811.94
		अनुदान संख्या 078 का योग	811.94
079	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-सिपडा योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की वेबसाइट को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	10.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को विकलांगजन के हितार्थ बनाया जाना	50.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	60.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3-सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत दिव्यांगजन हेतु सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधारहित बनाया जाना	6000.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	6000.00
		अनुदान संख्या 079 का योग	6060.00
080	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-मुख्य-मंत्री सामूहिक विवाह योजना	25000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	25000.00
		अनुदान संख्या 080 का योग	25000.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
081	2217-शहरी विकास	1-प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी मिशन)	5800.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	5800.00
	2230-श्रम तथा रोजगार	2-दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	25.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	25.00
	2401-फसल कृषि कर्म	3-लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान	100.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	100.00
	4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1155.00
		लेखा शीर्ष 4211 का योग	1155.00
		अनुदान संख्या 081 का योग	7080.00
083	2217-शहरी विकास	1-प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी मिशन)	60000.00
	2217-शहरी विकास	2-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना	16000.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	76000.00
	2230-श्रम तथा रोजगार	3-दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	5450.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	5450.00
	2401-फसल कृषि कर्म	4-लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान	360000.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	360000.00
	2403-पशु पालन	5-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना	1135.13
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	1135.13
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ़ की स्थापना	100.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-इंजीनियरिंग कालेज, मिर्ज़ापुर की स्थापना	100.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	200.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8-पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	16000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	16000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन की सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण	2000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण	2000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	2000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ.योजना के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	1345.98
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	7345.98
	6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	13-पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	6300.00
		लेखा शीर्ष 6215 का योग	6300.00
		अनुदान संख्या 083 का योग	472431.11
084	2250-अन्य सामाजिक सेवायें	1-कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को आर्थिक अनुदान	500.00
		लेखा शीर्ष 2250 का योग	500.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-काशी में वेद साइंस सेन्टर की स्थापना	1500.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण	2000.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	3500.00
		अनुदान संख्या 084 का योग	4000.00
087	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि (कार्पस निधि) में वृद्धि	1000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 087 का योग	1000.00
088	2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें	1-फसली ऋण मोचन हेतु पोर्टल व कन्ट्रोल कक्ष की स्थापना	400.00
		लेखा शीर्ष 2052 का योग	400.00

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 088 का योग	400.00
089	2040-विक्री,व्यापार आदि पर कर	1-जिला मध्यस्थता प्राधिकरण हेतु	379.50
	2040-विक्री,व्यापार आदि पर कर	2-व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन	86.40
		लेखा शीर्ष 2040 का योग	465.90
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-वाणिज्य कर कार्यालय भवनों में लिफ्ट की स्थापना	349.25
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	349.25
		अनुदान संख्या 089 का योग	815.15
092	2205-कला एवं संस्कृति	1-फिल्मों का विकास (डाक्यूमेन्ट्री ऑडियो विज़ुअल)	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	2-लोक कलाकारों के उन्नयन के लिये प्रशिक्षण हेतु स्कूलों / विद्यालयों आदि में कल्चरल क्लब की स्थापना	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	3-लोक कलाकारों को वाद्य-यंत्रों के क्रय हेतु आर्थिक सहायता	100.00
		लेखा शीर्ष 2205 का योग	300.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन का सुदृढ़ीकरण	193.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण	2000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-मथुरा में "गीता शोध संस्थान" की स्थापना	100.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	2293.00
		अनुदान संख्या 092 का योग	2593.00
094	2700-मुख्य सिंचाई	1-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	30000.00
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	30000.00
	2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	2-मध्यम सिंचाई की परियोजायें	20000.00
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	20000.00
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3-केन बेतवा लिंक नहर परियोजना	100.00
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	100.00
	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4-चौधरी चरण सिंह नलकूप निरीक्षण भवन, गोरखपुर	31.91

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		का सुदृढ़ीकरण	
		लेखा शीर्ष 4701 का योग	31.91
	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की योजना	16511.42
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	16511.42
		अनुदान संख्या 094 का योग	66643.33
095	2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	1-प्रशासकीय जाँच हेतु गठित समिति के लिये विविध व्यय	32.00
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	32.00
		अनुदान संख्या 095 का योग	32.00

व्यय की नई मांग
का विवरण

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

संस्कृति स्कूल, लखनऊ के संचालन हेतु सी.एस.आई. एजूकेशनल सोसाइटी को अनुदान

सी.एस.आई. एजूकेशनल सोसाइटी को संस्कृति स्कूल, लखनऊ के संचालन के लिए अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2.22 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2.22 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
02- माध्यमिक शिक्षा
110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता
03- संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी.एस.आई. एजुकेशनल सोसाइटी को अनुदान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 222.00

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का भुगतान

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु राज्यांश के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हडको से लिये जाने वाले ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 22.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 22.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2216- आवास
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
03- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 2200.00

आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना

आगरा एवं गोरखपुर में यातायात समस्या के समाधान के दृष्टिगत आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217 -	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60 -	अन्य शहरी विकास योजनायें	
190 -	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
05 -	आगरा मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूंजी विनियोजन	
	30-निवेश/ऋण	1000.00
06 -	गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूंजी विनियोजन	
	30-निवेश/ऋण	1000.00
	योग -	2000.00

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हस्तशिल्पियों तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हस्तशिल्पियों तथा उद्यमियों के कार्य के स्तर को उच्चीकृत एवं विकसित किये जाने के लिये प्रशिक्षण दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
102- लघु उद्योग
12- अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना
42-अन्य व्यय 75.00

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण

जनपद लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, वाराणसी एवं उद्यम गोरखपुर में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 400 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 400 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
102- लघु उद्योग
13- जिला उद्योग एवं उद्यम केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण
42-अन्य व्यय 400.00

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

नई उद्योग नीति के अन्तर्गत पारम्परिक कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिये 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' लागू किया जाना प्रस्तावित है । इसके अन्तर्गत पारम्परिक कारीगरों एवं उद्यमियों को उपकरण, तकनीकी सुविधा एवं बाजार आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
102- लघु उद्योग
14- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
42-अन्य व्यय 1000.00

अनुदान संख्या 005

उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

कम्बल उत्पादन केन्द्र, गोपीगंज, भदोही का पुनर्संचालन

कम्बल उत्पादन केन्द्र, गोपीगंज, भदोही के पुनर्संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 34.55 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 34.55 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
105- खादी ग्रामोद्योग
17- कम्बल उत्पादन केन्द्र, गोपीगंज (भदोही) का पुनर्संचालन
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 34.55

पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 999.12 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 999.12 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
105- खादी ग्रामोद्योग
18- पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 999.12

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु यूपिडा द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर देय ब्याज का भुगतान

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु यूपिडा द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 135.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 135.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
15- यूपिडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 13500.00

नई औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन, प्रदेश में निवेश के प्रोत्साहन हेतु विशेष निवेश बोर्ड एवं उद्योगों के लिये सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सेल की स्थापना

प्रदेश में औद्योगीकरण के चहुँमुखी विकास को तीव्र गति से लागू किये जाने के लिये औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में निवेश के प्रोत्साहन हेतु विशेष निवेश बोर्ड एवं उद्योगों के लिये सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सेल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 35 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 35 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
20- नई औद्योगिक नीति
42-अन्य व्यय 2000.00
21- विशेष निवेश बोर्ड
42-अन्य व्यय 500.00
22- सिंगल विण्डो क्लियरेन्स
42-अन्य व्यय 1000.00

योग - 3500.00

लखनऊ में इन्क्यूबेटर की स्थापना

लखनऊ में इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
02- इलेक्ट्रानिक
800- अन्य निवेश
14- लखनऊ में इन्क्यूबेटर की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. की परियोजनाओं की स्थापना, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. की परियोजनाओं की स्थापना, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 13.67 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 13.67 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2801- बिजली
02- उष्मीय विद्युत शक्ति उत्पादन
800- अन्य व्यय
19- परियोजनाओं की स्थापना, जीर्णोद्धार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1367.00

पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज

पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 91.38 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 91.38 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2801- बिजली
05- संचरण एवं वितरण
800- अन्य व्यय
18- पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 9138.00

विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की ब्याज सहित अदायगी

विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 71.67 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 71.67 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2801- बिजली
05- संचरण एवं वितरण
800- अन्य व्यय
20- वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 7167.00

भारत सरकार की पी.एस.डी.एफ. योजनान्तर्गत पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी

भारत सरकार की "पॉवर सेक्टर डेवलपमेन्ट फण्ड (पी.एस.डी.एफ.)" योजनान्तर्गत "इन्सटालेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक एण्ड रिनोवेशन एण्ड अपग्रेडेशन"

कार्यों के लिये 10 प्रतिशत अंशपूँजी की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2422.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2422.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
05- संचरण तथा वितरण
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
12- भारत सरकार की पावर सेक्टर डेवलपमेन्ट फण्ड योजनान्तर्गत पारेषण कार्यों हेतु अंशपूंजी विनियोजन
30-निवेश/ऋण 2422.30

निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु बढ़ी हुयी लागत की प्रतिपूर्ति

निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु बढ़ी हुयी लागत की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 40 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 40 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
08- उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 4000.00

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

फल पट्टियों के विकास की योजना

प्रदेश में फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने के लिये फल पट्टियों के विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें
03- नर्सरी
0312- फल पट्टियों के विकास की योजना

27-सब्सिडी	1.00

लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना

प्रदेश में औद्यानिक फसलों यथा - फल, शाकभाजी, मसाले, आलू, पुष्प, औषधीय एवं सुगन्ध पौधे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये संकर शाकभाजी के उत्पादन एवं प्रबन्धन के योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के दृष्टिगत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये संकर शाकभाजी के उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें
03- नर्सरी
0313- लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना

08-कार्यालय व्यय	16.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30.00
27-सब्सिडी	2388.00
42-अन्य व्यय	20.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.00
योग -	2500.00

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान

प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दिनाँक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनाँक 31 मार्च, 2017 तक की अवशेष राशि में से एक लाख रूपये तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जिसके लिये कुल रूपये 36,000 करोड़ का व्यय अनुमानित है । अनुदान संख्या-11 में इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 32399.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 32399.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401 -	फसल कृषि कर्म	
115 -	छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना	
03 -	लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3239900.00

अतिदोहित / क्रिटिकल / सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना

अतिदोहित / क्रिटिकल / सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में जल की समस्या के आलोक में उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करते हुए सिंचाई की लागत को कम करने तथा कम जल से अधिक क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराते हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1041.60 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1041.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401 -	फसल कृषि कर्म	
800 -	अन्य व्यय	
04 -	स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1041.60

मृदा सर्वेक्षण कार्यक्रम

मृदा सर्वेक्षण द्वारा मृदा की क्षमता व उसकी परिसीमाओं के अन्तर्गत मृदा संसाधन को नियोजित कर निरन्तर अधिकतम उत्पादन वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 101 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 101 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2402-	मृदा तथा जल संरक्षण	
101-	मृदा संरक्षण तथा परीक्षण	
03-	मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	
	04-यात्रा व्यय	28.00
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00
	42-अन्य व्यय	50.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
	योग -	101.00

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मी कप्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिये, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1956.28 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1956.28 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2402-	मृदा तथा जल संरक्षण	
101-	मृदा संरक्षण तथा परीक्षण	
06-	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1956.28

पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना

प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली जनपदों को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जलभराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिये पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2402-	मृदा तथा जल संरक्षण	
103-	भूमि सुधार तथा विकास	
09-	पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	
	04-यात्रा व्यय	20.00
	08-कार्यालय व्यय	25.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20.00
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35.00
	42-अन्य व्यय	830.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00
	योग -	1000.00

कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय, फैजाबाद के अन्तर्गत धान पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस

कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय, फैजाबाद के अन्तर्गत धान पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415-	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
01-	फसल कृषि कर्म	
004-	अनुसंधान	
04-	कृषि विश्वविघालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	
0401-	कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, फैजाबाद के अन्तर्गत धान पर अनुसंधान हेतु	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00

चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत गेहूँ एवं सब्जी पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस

चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत गेहूँ एवं सब्जी पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
01- फसल कृषि कर्म
004- अनुसंधान
04- कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस
0402- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत गेहूं एवं सब्जी पर अनुसंधान हेतु
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
01- फसल कृषि कर्म
004- अनुसंधान
04- कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस
0403- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा के अन्तर्गत शुष्क खेती पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस

कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा के अन्तर्गत शुष्क खेती पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
01- फसल कृषि कर्म
004- अनुसंधान
04- कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस
0404- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत शुष्क खेती पर अनुसंधान हेतु
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

कृषि प्रौघोगिकी एवं विज्ञान विश्वविघालय, इलाहाबाद के अन्तर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यन्त्रों पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस

कृषि प्रौघोगिकी एव विज्ञान विश्वविघालय, इलाहाबाद के अन्तर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यन्त्रों पर अनुसंधान के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
01- फसल कृषि कर्म
004- अनुसंधान
04- कृषि विश्वविघालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस
0405- कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, इलाहाबाद के अन्तर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रो पर अनुसंधान हेतु
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु राज्यॉंश के लिये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की अदायगी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु राज्यॉंश के लिये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिये अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 66 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 66 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2216- आवास
03- ग्रामीण आवास
800- अन्य व्यय
02- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 6600.00

राज्य भू-जल संरक्षण मिशन

भूगर्भ जल विभाग की 05 योजनाओं (भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं भूजल स्रोतों का पैरामीटर टेस्ट, जी.आई.एस. आधारित मानचित्र तैयार करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग योजना, अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की एकीकृत योजना तथा क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना) को एकीकृत करते हुए राज्य भूजल संरक्षण मिशन संचालित किया जाना है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 324.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 324.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई
02- भू-जल
005- अन्वेषण
12- राज्य भूजल संरक्षण मिशन

08-कार्यालय व्यय	30.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	185.00
18-प्रकाशन	15.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	18.00
42-अन्य व्यय	46.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	10.00
योग -	324.50

श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्र्बन मिशन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्र्बन मिशन के अन्तर्गत शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण

सामुदायिक जन-जीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए रूर्बन गाँव के क्लस्टर का विकास करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 213.60 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 213.60 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
102- सामुदायिक विकास
01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें
0102- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 21360.00

विकास भवन, गोरखपुर का जीर्णोद्धार

विकास भवन, गोरखपुर के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 300 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
102- सामुदायिक विकास
05- विकास भवन, गोरखपुर का जीर्णोद्धार
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

राज्य भू-जल संरक्षण मिशन

भूगर्भ जल विभाग की 05 योजनाओं (भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं भूजल स्रोतों का पैरामीटर टेस्ट, जी.आई.एस. आधारित मानचित्र तैयार करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग योजना, अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की एकीकृत योजना तथा क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना) को एकीकृत करते हुए राज्य भूजल संरक्षण मिशन संचालित किया जाना है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 42.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 42.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
102- भू जल
17- राज्य भूजल संरक्षण मिशन
24-वृहत् निर्माण कार्य 42.00

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायतीराज निदेशालय के अधिकारियों, मण्डलीय उपनिदेशक (पं.) एवं जिला पंचायतराज अधिकारियों को शासकीय वाहन

पंचायतीराज निदेशालय के अधिकारियों, मण्डलीय उपनिदेशक (पं.) एवं जिला पंचायतराज अधिकारियों को शासकीय वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
001- निदेशन तथा प्रशासन
03- पंचायती राज निदेशालय
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 200.00

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक विकास खण्ड से 3 ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 15 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 15 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
101- पंचायती राज
21- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
42-अन्य व्यय 1500.00

प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 चन्द्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना

न्याय पंचायतों के सशक्तीकरण हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 चन्द्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
101- पंचायती राज
09- प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल का संचालन

पशु चिकित्सा महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों से पशुचिकित्सा विज्ञान में उत्तीर्ण पशुचिकित्सा विदों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के साथ-साथ पशु चिकित्सा क्षेत्र के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल' के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 70.45 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 70.45 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403-	पशु पालन	
101-	पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	
02-	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
0210-	उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	
	01-वेतन	56.85
	02-मजदूरी	2.50
	03-मंहगाई भत्ता	3.02
	04-यात्रा व्यय	0.10
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10
	06-अन्य भत्ते	2.73
	08-कार्यालय व्यय	0.10
	09-विद्युत देय	0.10
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.10
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.10
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.10
	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.10
	29-अनुरक्षण	0.10
	42-अन्य व्यय	0.10
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.10
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.10
	49-चिकित्सा व्यय	0.10
	51-वर्दी व्यय	0.10
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.65
	योग -	70.45

गौशालाओं में अवस्थापना विकास हेतु गौ सेवा आयोग को अनुदान

प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं में अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिये गौ सेवा आयोग को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403-	पशु पालन	
102-	पशु तथा भैंस विकास	
23-	पंजीकृत गौशालाओं का सुदढ़ीकरण	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00

जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फॉर शीप एण्ड गोट

राष्ट्रीय पशु धन प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 'जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फॉर शीप एण्ड गोट' योजनान्तर्गत जमुनापारी बकरियों की नस्ल के उत्थान के लिये आनुवांशिक संवर्द्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 940.49 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 940.49 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403-	पशु पालन		
106-	अन्य पशुधन विकास		
02-	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम		
0205-	जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.)		
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		67.20
	42-अन्य व्यय		169.24
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति		704.05
		योग -	940.49

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

आई.सी.डी.पी. योजना

एकीकृत सहकारी विकास योजना (आई.सी.डी.पी. योजना) के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं में अंशपूंजी विनियोजन के लिये रूपये 6 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं को ऋण दिये जाने के लिये रूपये 10 करोड़ अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 16.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 16.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	
200-	अन्य निवेश	
05-	एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं में अंशपूंजी विनियोजन (एन.सी.डी.सी. पोषित)	
	30-निवेश/ऋण	600.00
6425-	सहकारिता के लिये कर्ज	
800-	अन्य कर्ज	
04-	एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (एन.सी.डी.सी. पोषित)	
	30-निवेश/ऋण	1000.00
	कुल योग -	1600.00

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

राशन कार्डों में दर्ज़ यूनिट की आधार सीडिंग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रदेश के कुल 15.20 करोड़ यूनिट को लाभान्वित किया जाना है । प्रदेश के 3.5 करोड़ राशन कार्डधारक मुखिया के अतिरिक्त अवशेष 11.70 करोड़ यूनिट / परिवार सदस्यों- की आधार फीडिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 76 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 76 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
01- खाद्य
001- निदेशन तथा प्रशासन
04- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013
0409- राशन कार्डो में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग
42-अन्य व्यय 7600.00

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 74 जनपदों में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 185.29 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 185.29 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें
104 - खेलकूद
30 - पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 185.29

---

083 जनपद गोरखपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोरखपुर में खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत / सुदृढीकरण

जनपद गोरखपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोरखपुर में निर्मित खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत / सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 300 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
03 - खेलकूद तथा युवा सेवा
800 - अन्य व्यय
62 - स्पोर्टस स्टेडियम, गोरखपुर
6201 - खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास / सुदृढीकरण का कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

अनुदान संख्या 023

गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना एवं अनुरक्षण कार्य

गन्ना विकास परिषदों द्वारा पूर्व निर्मित सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं अनुरक्षण कार्य करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 250 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 250 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3054 - सड़क तथा सेतु
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
105 - रख-रखाव तथा मरम्मत
03 - गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सड़कों को गडढामुक्त किया जाना एवं अनुरक्षण कार्य
29-अनुरक्षण 25000.00

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में यातायात सुविधा प्रदान कर चीनी मिलों को ताज़ा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 30 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 30 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
03 - कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण / पुनर्निर्माण

अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण / पुनर्निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 30 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 30 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
04 - चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना शोध, विकास एवं प्रशिक्षण योजना

शक्कर विशेष निधि से वित्त पोषित संस्थाओं यथा - उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, शक्कर विशेष निधि / प्रचार निधि संगठन के विविध व्यय के लिये गन्ना शोध, विकास एवं प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2333.33 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2333.33 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
108- वाणिज्यिक फसलें
03- गन्ना--
0302- गन्ना शोध विकास एवं प्रशिक्षण योजना
42-अन्य व्यय 2333.33

गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुनर्स्थापना

गन्ना शोध संस्थान केन्द्र, गोरखपुर की पुनर्स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की गोरखपुर स्थित पिपराइच चीनी मिल की भूमि व परिसम्पत्तियों के मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड को करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
004- अनुसंधान
03- गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुनर्स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

सठियांव चीनी मिल, आज़मगढ की क्षमता विस्तार, को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी हेतु

सठियांव, आजमगढ में स्थापित 3500 टी.सी.डी. क्षमता की चीनी मिल, को-जनरेशन प्लान्ट हेतु रूपये 1207.23 लाख एवं आसवनी की स्थापना लागत में वृद्धि हेतु रूपये 460.40 लाख अर्थात् हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1667.63 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1667.63 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
08- बन्द सहकारी चीनी मिल सठियॉव के स्थान पर 3500 टी0 सी0 डी0 क्षमता की नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना
30-निवेश/ऋण 1667.63

चीनी मिल, मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना

मुण्डेरवा (बस्ती) में 3500 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल, जो 5000 टी.सी.डी. तक विस्तारित करने योग्य होगी, को-जनरेशन

प्लान्ट एवं आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 270.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 270.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
11- बंद चीनी मिल मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना
30-निवेश/ऋण 27000.00

पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल, कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना

पिपराईच-गोरखपुर में 3500 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल, जो 5000 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य होगी, को-जनरेशन प्लान्ट एवं आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 273.75 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 273.75 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
12- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना
30-निवेश/ऋण 27375.00

सहकारी चीनी मिल, रमाला की पेराई क्षमता विस्तार हेतु

सहकारी चीनी मिल रमाला की वर्तमान पेराई क्षमता 2750 टी.सी.डी. से बढाकर 5000 टी.सी.डी. तक क्षमता विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 84 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
13- सहकारी चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता विस्तार हेतु कर्ज
30-निवेश/ऋण 8400.00

अनुदान संख्या 025

गृह विभाग (कारागार)

कारागार कर्मचारियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण

सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान में कारागार अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2056- जेलें
800- अन्य व्यय
03- कारागार प्रशिक्षण विघालय--
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 1.00

कारागारों हेतु वाहनों की व्यवस्था

जिला कारागार, कासगंज के लिये 01 बन्द जीप, 01 एम्बुलेंस तथा 02 मोटर साइकिल की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
14- कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 20.00

कारागारों में अग्निशमन के उपाय हेतु

प्रदेश की कारागारों में अग्निशमन के उपाय सुनिश्चित करने हेतु वाटर मिस्ड एण्ड सी.ए.एफ. फायर फिटिंग सिस्टम तथा 1000 अदद फायर इंस्टिंग्यूशर की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 178 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 178 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
19- कारागारों में अग्निशमन के उपाय
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 178.00

कारागारों में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर

प्रदेश की कारागारों में तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिये प्रत्येक कारागार में 02-02 अदद डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 204 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 204 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
20- कारागारों में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 204.00

कारागारों में पाकशालाओं का आधुनिकीकरण

प्रदेश की कारागारों में पाकशालाओं के प्लेटफार्मों की स्टील फ्रेमिंग कराये जाने तथा पाकशाला के अन्दर धुआँ तथा गर्मी आदि को वैज्ञानिक तरीके से बाहर करने के लिये इलेक्ट्रानिक चिमनी स्थापित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 5 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 5 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
21- कारागारों के पाकशालाओं का आधुनिकीकरण
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 500.00

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

जनपद उन्नाव की पुलिस चौकी बेहटा मुजावर को उच्चीकृत कर थाना बनाया जाना

जनपद उन्नाव की पुलिस चौकी बेहटा मुजावर को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055-	पुलिस	
109-	जिला पुलिस	
03-	जिला पुलिस (मुख्य)	
	01-वेतन	7.00
	03-मंहगाई भत्ता	0.35
	06-अन्य भत्ते	1.15
	08-कार्यालय व्यय	0.65
	09-विद्युत देय	0.30
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
	42-अन्य व्यय	0.30
	योग -	20.00

स्पैक्ट्रम चार्जेज के भुगतान हेतु

पुलिस विभाग के स्पैक्ट्रम चार्जेज के लम्बित किराये के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 634 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 634 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055-	पुलिस	
109-	जिला पुलिस	
16-	पुलिस के संचार नेटवर्को पर स्पेक्ट्रम चार्जेज हेतु	
	42-अन्य व्यय	634.00

पुलिस विभाग में कनेक्टिविटी

प्रदेश के थानों, जनपदीय पुलिस अधीक्षकों, जोन्स कार्यालय, पुलिस अधीक्षक रेलवे, रेलवे मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, सी.सी.टी.वी. डेटा सेन्टर आदि की कनेक्टिविटी हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2137.81 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2137.81 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055- पुलिस
109- जिला पुलिस
17- पुलिस विभाग में कनेक्टिविटी हेतु
42-अन्य व्यय 2137.81

पुलिस रिकार्ड का डिजिटाइजेशन

प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता / तीव्रता / गतिशीलता प्रदान करने के लिये पुलिस कार्यालयों / जोन्स परिक्षेत्रीय कार्यालयों / इकाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि में परिदर्शिता एवं लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिये प्रदेश पुलिस रिकार्ड्स का डिजिटाइजेशन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 6 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 6 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055- पुलिस
109- जिला पुलिस
18- पुलिस रिकार्ड का डिजीटाईजेशन
42-अन्य व्यय 600.00

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 24.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 24.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055- पुलिस
797- आरक्षित निधियों / जमा लेखों को अन्तरण
04- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण
48-अन्तर्लेखा संक्रमण 2400.00

विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों का क्रय

अपराधों की रोकथाम एवं बेहतर विवेचना के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
207- राज्य पुलिस
20- विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1000.00

क्रम संख्या 029

गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

श्री राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में वृद्धि

गरीब / असहाय व्यक्तियों को उनके स्वयं अथवा उनके आश्रित परिवारजनों की चिकित्सा / विवाह आदि हेतु तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये श्री राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2012-	राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	
03-	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	
102-	विवेकाधीन अनुदान	
03-	राज्यपाल का विवेकाधीन अनुदान-भारित-	
	42-अन्य व्यय	20.00

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0303- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1250.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1250.00
योग -	2500.00

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में विभिन्न योजनाओं का संचालन

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में महामारी आदि के नियंत्रण के लिये प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना एवं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत मानव शक्ति के विकास की योजनाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 900 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 900 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0364- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में महामारी आदि के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क (के.100/रा.0-के.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 50.00
0365- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास (के.100/रा.0-के.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 71.00
योग - 121.00

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
11- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में महामारी आदि के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 279.00
12- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00
योग - 779.00

कुल योग - 900.00

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में "टर्शरी केयर कैन्सर केन्द्र" की स्थापना

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 'प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज एण्ड स्ट्रोक' (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) योजनान्तर्गत टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र की स्थापना के लिये उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 11.43 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 11.43 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
13- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैन्सर केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1143.00

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं उपकरणों का क्रय

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में भवन निर्माण एवं उपकरणों के क्रय एवं साज-सज्जा हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
14- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	
24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1200.00
योग -	1500.00

राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर में हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
15- राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1000.00

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
16- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1250.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1250.00
योग -	2500.00

जिला चिकित्सालयों का मेडिकल कालेज के रूप में उच्चीकरण

पाँच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
67- जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 50000.00

सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में उपकरणों का क्रय

सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु उपकरणों का क्रय तथा साज-सज्जा एवं निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
70- सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1200.00
योग - 1500.00

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर की स्थापना

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर को स्वतंत्र फीडर से विद्युत आपूर्ति हेतु हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रुपये 36 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रुपये 36 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
71- भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर को स्वतंत्र फीडर से विद्युत आपूर्ति
24-वृहत् निर्माण कार्य 3600.00

अनुदान संख्या 032

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था

प्रदेश के शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें
800- अन्य व्यय
04- शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर का भवन निर्माण

प्रदेश में चिकित्सकीय इकाईयों में विशिष्ट एवं उच्च कोटि की नर्सिंग सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 23 जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टरों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें
800- अन्य व्यय
05- जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर के भवनों का निर्माण (के.85/रा.15-के.+रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों / औषधालयों में अग्निशमन व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों / औषधालयों में अग्निशमन व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 30 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 30 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें
800- अन्य व्यय
03- ग्रामीण चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

अनुदान संख्या 036

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

वेक्टर जनित डिज़ीज नियंत्रण कार्यक्रम

प्रदेश में वेक्टर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
06- लोक स्वास्थ्य सेवायें	
101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	
04- वेक्टर जनित डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200.00
13-टेलीफोन पर व्यय	100.00
39-औषधि तथा रसायन	1500.00
42-अन्य व्यय	200.00
योग -	2000.00

जन्म-मृत्यु सम्बन्धी आँकड़ों का पंजीयन और संग्रहण

जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किये जाने के लिये 'जन्म-मरण सम्बन्धी आँकड़ों का पंजीयन और संग्रहण' योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 450.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 450.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
04- जन्म-मरण संबंधी आंकड़ों का पंजीयन और संग्रहण	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50.00
योग -	450.00

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

'कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना' के अन्तर्गत कांजी हाऊस / पशु शेल्टर होम्स की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें
800 - अन्य व्यय
07 - कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 4000.00

मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत अल्प विकसित क्षेत्रों तथा मलिन बस्तियों में इण्टर लॉकिंग / सी.सी.रोड, नाली निर्माण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेयजल के साथ अन्य सामान्य सुविधाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 225 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 225 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217 - शहरी विकास
04 - गंदी बस्तियों का विकास
051 - निर्माण
04 - मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 22500.00

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत नगरीय निकायों में रहने वाले ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी के लाभार्थियों के आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 2342.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 2342.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217 - शहरी विकास
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये
051 - निर्माण
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0104 - प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिये आवास (शहरी) मिशन
(के.60/रा.40-के.)
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 234200.00

पशु जनित स्वच्छ आहार योजना

प्रदेश के नागर निकायों में 'पशु जनित स्वच्छ आहार योजना' के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- पशुजनित स्वच्छ आहार योजना
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 2000.00

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के लिये वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण की ब्याज अदायगी हेतु सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के लिये राज्य नागर विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा हडको से लिये जाने वाले ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 29.56 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 29.56 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
14- सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की ब्याज अदायगी हेतु सहायता
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 2956.00

दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीब परिवारों के उत्थान के लिये स्वरोजगार और कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने के साथ ही शहरी बेघर, पटरी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल, ऋण एवं कौशल विकास द्वारा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 164.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 164.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम तथा रोजगार
02- रोजगार सेवाएं
101- रोजगार सेवायें
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0104- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 16400.00

अर्द्धकुम्भ मेला, 2019 का आयोजन

इलाहाबाद में आगामी अर्द्धकुम्भ मेला, 2019 के आयोजन के दृष्टिगत, देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटकों के आवागमन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
06- अर्द्धकुम्भ मेला 2019, इलाहाबाद
24-वृहत् निर्माण कार्य 50000.00

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

निकायों में अवस्थापना / सुविधाओं के विकास के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 237 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 237 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6215- जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज
02- मल-जल तथा सफाई
191- नगर निगमों को सहायता
05- पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
30-निवेश/ऋण 6700.00
192- नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05- पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
30-निवेश/ऋण 7800.00
193- नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05- पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
30-निवेश/ऋण 9200.00

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्मिकों के लम्बित वेतन / पेंशन के भुगतान हेतु ब्याज रहित ऋण की प्रतिपूर्ति

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्मिकों के लम्बित वेतन / पेंशन के भुगतान के लिये ब्याज रहित ऋण के लिये वित्तीय वर्ष 2016-2017 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 300 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं
800- अन्य कर्ज
02- उ. प्र. जल निगम को ब्याज रहित ऋण
30-निवेश/ऋण 30000.00

अनुदान संख्या 038

नागरिक उड्डयन विभाग

भारत सरकार द्वारा संचालित रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम (आर.सी.एस.) के अन्तर्गत वायविलिटी गैप फण्डिंग

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एविएशन पॉलिसी-2016 के अन्तर्गत क्षेत्रीय सम्पर्कता को बढाने के उद्देश्य से कम उपयोग में आ रहे / उपयोग में नहीं आ रहे हवाई अड्डों का उपयोग रियायती दरों पर वायुसेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत वायविलिटी गैप फण्डिंग वहन किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3053-	नागर विमानन	
01-	हवाई सेवाएं	
800-	अन्य व्यय	
02-	रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग	
	42-अन्य व्यय	500.00

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

राज्य पोषित कल्याणकारी योजनाओं में एन.जी.ओ. की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वेबसाइट / पोर्टल का निर्माण

राज्य पोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में एन.जी.ओ. की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये, एन.जी.ओ. के माध्यम से जनसमुदाय का सशक्तिकरण, सरकार एवं एन.जी.ओ. के मध्य सहयोग, परस्पर सम्मान, विश्वास एवं जवाबदेही के आधार पर कार्य प्रणाली का विकास किये जाने के सम्बन्ध में एन.आई.सी. के माध्यम से वेबसाईट / पोर्टल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 12.40 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 12.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें

092- अन्य कार्यालय

08- राज्य पोषित कल्याणकारी योजनाओं में एन.जी.ओ. की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वेबसाइट / पोर्टल का निर्माण

42-अन्य व्यय 12.40

त्वरित आर्थिक विकास योजना

विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने के लिये त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, विद्युतीकरण, अधिवक्ता चैम्बर निर्माण आदि कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 30824.11 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 30824.11 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
01- जलपूर्ति	
101- शहरी जल पूर्ति	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
102- ग्रामीण जल पूर्ति	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
02- मल-जल तथा सफाई	
101- शहरी सफाई सेवाएं	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	522.11
106- मल-जल सेवाएं	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

4801 -	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05 -	संचरण तथा वितरण	
800 -	अन्य व्यय	
03 -	त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301 -	विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00
06 -	ग्रामीण विद्युतीकरण	
800 -	अन्य व्यय	
03 -	त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301 -	विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00
80 -	सामान्य	
800 -	अन्य व्यय	
03 -	त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301 -	शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00
5054 -	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04 -	जिला तथा अन्य सड़कें	
101 -	पुल	
03 -	त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0302 -	नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
337 -	सड़क निर्माण कार्य	
03 -	त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0302 -	शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00
0303 -	ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	20000.00
	योग -	21500.00
	कुल योग -	30824.11

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

माननीय न्यायमूर्तिगण के उपयोगार्थ वाहनों का क्रय

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में नये नियुक्त होने वाले एवं वर्तमान में कार्यरत् माननीय न्यायमूर्तिगण के उपयोगार्थ 50 नयी करोला आल्टीस कारों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2014 -	न्याय प्रशासन	
102 -	उच्च न्यायालय	
03 -	उच्च न्यायालय	
	14-मोटर गाड़ियों का क्रय	300.00

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के गोमतीनगर, लखनऊ में निर्मित भवन की साफ-सफाई हेतु मशीन का क्रय

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के गोमती नगर, लखनऊ में निर्मित नवीन भवन के साफ-सफाई हेतु मशीन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2014 -	न्याय प्रशासन	
102 -	उच्च न्यायालय	
03 -	उच्च न्यायालय	
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	50.00

महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु 100 अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना / संचालन

महिलाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिये 100 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालयों की स्थापना / संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2014 - न्याय प्रशासन

105 - सिविल और सेशन्स न्यायालय

15 - महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए न्यायालयों की स्थापना

01-वेतन	1600.00
03-मंहगाई भत्ता	100.00
04-यात्रा व्यय	5.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00
06-अन्य भत्ते	34.00
07-मानदेय	1.00
08-कार्यालय व्यय	26.00
09-विद्युत देय	2.00
10-जलकर / जल प्रभार	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5.00
42-अन्य व्यय	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	10.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00
49-चिकित्सा व्यय	10.00
51-वर्दी व्यय	1.00
योग -	2000.00

नवसृजित जनपदों के सी.जे.एम. के लिये वाहन का क्रय

नवसृजित जनपदों के सी.जे.एम. के लिये नयी महेन्द्रा बोलेरो वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 30.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2014- न्याय प्रशासन
108- दण्ड न्यायालय
03- नियमित अधिष्ठान
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 30.00

मध्यस्थों को मानदेय का भुगतान

माननीय उच्च न्यायालय से लेकर दीवानी न्यायालय तक स्थापित मध्यस्था केन्द्रों में मध्यस्थों को मानदेय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200- अन्य कार्यक्रम
16- मध्यस्थों को मानदेय का भुगतान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 5000.00

जनपदों में ए.डी.आर. सेन्टर का निर्माण

विधिक सेवा अधिकरण द्वारा कुल 17 जनपदों में प्रस्तावित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (ए.डी.आर. सेन्टर) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 15 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 15 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
11- जनपदों में ए.डी.आर. सेन्टर की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 1500.00

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में 5 सीटेड / 10 सीटेड सार्वजनिक शौचालय का निर्माण

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में जन सुविधाओं के दृष्टिगत 5 सीटेड / 10 सीटेड (दिव्यांगों के लिये भी) सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
12- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोलर पॉवर सिस्टम

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोलर पॉवर सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
052- मशीनरी तथा उपस्कर
04- अधीनस्थ न्यायालय में सोलर पावर सिस्टम की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 2000.00

जनपद न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन

जनपद न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 250 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 250 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
04- जनपद न्यायालय वाराणसी के नवीन परिसर हेतु भूमि अर्जन
24-वृहत् निर्माण कार्य 25000.00

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिये एल्गिन रोड, इलाहाबाद स्थित रक्षा मंत्रालय के बंगला नम्बर-1 का क्रय

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हेतु एल्गिन रोड, इलाहाबाद स्थित रक्षा मंत्रालय के बंगला नम्बर-1 के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 37.12 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 37.12 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

05- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विस्तार हेतु एल्गिन रोड इलाहाबाद स्थित रक्षा मंत्रालय के बंगला नं0-1 का क्रय

24-वृहत् निर्माण कार्य 3712.00

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

गोरखपुर में सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण

गोरखपुर में सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
03- सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

रामायण कान्क्लेव का आयोजन

विश्व के प्रमुख देशों, विशेषकर आसियान, सार्क देशों तथा भारतीय मूल के नागरिकों के बाहुल्य वाले देशों से पर्यटकों को उत्तर प्रदेश विशेषकर रामायण सर्किट भ्रमण के लिये आकर्षित किये जाने के लिये रामायण कान्क्लेव के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 300 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3452- पर्यटन
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
09- रामायण कान्क्लेव का आयोजन
42-अन्य व्यय 300.00

प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलिकॉप्टर सेवा का संचालन

प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि. एवं मेसर्स पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट - वेंचर के रूप में, हेलीकॉप्टर सेवा संचालित किये जाने के लिये इक्विटी की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 25 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 25 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
01- पर्यटक अवसंरचना
103- पर्यटक परिवहन
03- पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकाप्टर सेवा का संचालन
30-निवेश/ऋण 2500.00

स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में विभिन्न परिपथ एवं सर्किट का विकास

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये विभिन्न परिपथों यथा - रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट आदि के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0107- स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 120000.00

प्रासाद योजनान्तर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत अयोध्या एवं मथुरा के चिन्हित स्थलों में विभिन्न पर्यटन अवस्थापना मूलभूत सुविधाओं के

सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 800.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 800.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0109- प्रासाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन
24-वृहत् निर्माण कार्य 80000.00

गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स का विकास

गोरखपुर में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिये रामगढताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 25 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 25 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
34- गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्टस का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

जनपद मथुरा में नगला - चन्द्रभान का पर्यटन विकास

प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मथुरा के नगला - चन्द्रभान के पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
35- मथुरा में नगला - चन्द्रभान का पर्यटन विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

विन्ध्याचल का पर्यटन विकास

विन्ध्याचल के पर्यटन विकास के अन्तर्गत श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा के लिये पक्का घाट, दिवान घाट, रामगया घाट, पटेगरा नाला, अमरावती चौराहा पर घाट के निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट, सुलभ शौचालय चेन्ज रूम तथा विन्ध्याचल के राही निवास कैम्पस में पर्यटन सूचना केन्द्र / आधुनिक स्वागत केन्द्र के निर्माण, गलियों में सी.सी.रोड तथा निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
36- विन्ध्याचल का पर्यटन विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

सांस्कृतिक पर्यटन के दृष्टिगत, जनपद वाराणसी में पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 200 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 200 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
37- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

मातृत्व लाभ कार्यक्रम

मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भावस्था का पंजीकरण एवं प्रसवपूर्व जाँच कराने वाली गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर प्रसव का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने वाली महिलाओं तथा बच्चे के प्रथम चरण का टीकाकरणपूर्ण कराने वाली महिलाओं को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0127- मातृत्व लाभ कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 10000.00

शबरी संकल्प अभियान

शबरी संकल्प अभियान के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं पाँच वर्ष तक आयु के अति कुपोषित बच्चों में कुपोषण दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 262.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 262.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
20- शबरी संकल्प अभियान
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति 26200.00

महिला समाख्या कार्यक्रम

महिला कल्याण विभाग के विभिन्न कार्यों को महिला समाख्या उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
13- महिला समाख्या कार्यक्रम
42-अन्य व्यय 1000.00

वृन्दावन में स्थित 05 राजकीय आश्रय सदनों की निराश्रित महिलाओं के लिये उपलब्ध सुविधाओं में आवश्यक सुधार

वृन्दावन, जनपद-मथुरा में स्थित 05 राजकीय आश्रय सदनों की निराश्रित महिलाओं के लिये उपलब्ध सुविधाओं में आावश्यक सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
26- निराश्रित महिलाओं के लिये राजकीय आश्रय सदन
42-अन्य व्यय 500.00

वृन्दावन में नवीन वृद्धाश्रम का निर्माण

वृन्दावन में एक वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
04- वृद्धाश्रम की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

अनुदान संख्या 050

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

कलेक्ट्रेट / तहसील भवनों में फर्नीचर एवं उपकरण

कलेक्ट्रेट / तहसील भवनों में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 232.69 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 232.69 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2053- जिला प्रशासन
093- जिला स्थापनाएं
03- कलेक्टरी स्थापना
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 232.69

राजस्व न्यायिक अधिकारियों को वाहन की सुविधा

राजस्व न्यायिक अधिकारियों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2053- जिला प्रशासन
093- जिला स्थापनाएं
03- कलेक्टरी स्थापना
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 100.00

मण्डलायुक्त, जनपद कार्यालयों व तहसील कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने हेतु ऑन-लाइन बायोमैट्रिक्स सिस्टम

प्रदेश के समस्त राजस्व कार्यालयों यथा मण्डलायुक्त, जनपद कार्यालयों व तहसील कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने हेतु ऑन-लाईन बायोमैट्रिक्स सिस्टम हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 137.02 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 137.02 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2053- जिला प्रशासन
093- जिला स्थापनाएं
03- कलेक्टरी स्थापना
42-अन्य व्यय 130.00
101- आयुक्त
03- मुख्य कार्यालय
42-अन्य व्यय 7.02

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय तथा तहसीलों में न्यायिक तहसीलदार / नायब तहसीलदारों हेतु पृथक शौचालय ब्लाक

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय तथा तहसीलों में न्यायिक तहसीलदार / नायब तहसीलदारों हेतु पृथक शौचालय ब्लाक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10122.50 लाख की आवश्यकता है |

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10122.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

02- प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / विस्तार /पुनर्निर्माण / सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

03- प्रदेश की तहसीलों में न्यायिक तहसीलदार / नायब तहसीलदारों हेतु पृथक से शौचालय ब्लॉक का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 122.50

योग - 10122.50

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 40 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 40 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

106- साधारण पूल आवास

03- आवासीय भवन

0301- प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 4000.00

अनुदान संख्या 051

राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

आपदा मित्रों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित 02 जनपदों, गोरखपुर एवं बलिया में बाढ़ से प्रभावित जनसंखया को तत्काल सहायता प्रदान करने एवं बचाव कार्यों हेतु प्रति जनपद 200 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 90.80 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 90.80 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें
0101- आपदा मित्रों का प्रशिक्षण (के.100/रा.0-के.)
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 90.80

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लेखपालों / राजस्व निरीक्षकों को स्मार्टफोन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राजस्व कार्मिकों (लेखपाल / राजस्व निरीक्षकों) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टता के अनुरूप स्मार्टफोन उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 29.17 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 29.17 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2029- भू-राजस्व
103- भू-अभिलेख
08- राजस्व कर्मिकों (लेखपाल / राजस्व निरीक्षकों) को स्मार्ट फोन दिये जाने हेतु
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 2917.00

तालाब विकास प्राधिकरण का गठन

तालाबों की घटती हुयी संख्या पर रोक लगाने, तालाबों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार सुनिश्चित करने के लिये तालाब विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें
099- राजस्व बोर्ड
04- तालाब विकास प्राधिकरण
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 50.00

अनुदान संख्या 056

लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 200 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 200 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 140 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 140 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 14000.00

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

सेतु निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज का भुगतान

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 55.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 55.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3054 - सड़क तथा सेतु
03 - राजकीय राजमार्ग
800 - अन्य व्यय
04 - उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु सहायता
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 5500.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
101 - पुल
36 - प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम / उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण का भुगतान

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम / उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / नवीनीकरण के लिये वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 140.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 140.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3054 - सड़क तथा सेतु
03 - राजकीय राजमार्ग
800 - अन्य व्यय
04 - उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / नवीनीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु सहायता
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 7000.00
05 - उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / नवीनीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु सहायता
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 7000.00

योग - 14000.00

इण्डो-नेपाल बार्डर की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित मार्ग का निर्माण

इण्डो-नेपाल बार्डर की सुरक्षा के लिये प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 5 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 5 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0102 - इण्डो-नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

इण्डो-नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि-अध्याप्ति हेतु व्यवस्था

इण्डो-नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के निर्माण कार्य पर भूमि-अध्याप्ति के कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 5 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 5 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
06 - इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1330 - प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि वन विभाग को दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1335 - क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों व लघु सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 80 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 80 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
66 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 8000.00

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
86 - नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के मार्गों पर बढ़ते हुये भारी यातायात के दृष्टिगत केन्द्रीय सड़क निधि से महत्वपूर्ण राज्य मार्ग / प्रमुख जिला / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 6000 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 6000 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
800 - अन्य व्यय
04 - केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य
0470 - मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 600000.00

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना

प्रदेश में मार्ग निर्माण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03 - उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना हेतु अंशपूंजी

30-निवेश/ऋण 5000.00

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास

जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास कराये जाने तथा वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार एवं वन देवी में गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01- वानिकी

800- अन्य व्यय

18- जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस का निर्माण (सी0 सी0 एल 0 प्रणाली)

24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य

विधान परिषद् के गलियारे का सौन्दर्यीकरण एवं प्रमुख सचिव के कार्यालय कक्ष में टाइल्स एवं फाल्स सीलिंग आदि लगाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 300 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
03- विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत संबंधी कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

विधान परिषद् मण्डप में डिजिटल साउण्ड सिस्टम बदलने तथा मण्डप लॉबी में फर्नीचर, आदि का नवीनीकरण

विधान परिषद् मण्डप में डिजिटल साउण्ड सिस्टम बदलने तथा मण्डप लॉबी में फर्नीचर, कॉरपेट आदि के नवीनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
04- विधान परिषद् मण्डप में ध्वनि प्रणाली तथा लॉबी फर्नीचर आदि का नवीनीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

माननीय विधान सभा सदस्यों का स्मार्ट कार्ड बनवाया जाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्मार्ट कार्ड बनवाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 5 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 5 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
101- विधान सभा
03- विधान सभा
08-कार्यालय व्यय 5.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में स्थापित आधुनिक डिजिटल ध्वनि प्रणाली का अनुरक्षण

उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में स्थापित आधुनिक डिजिटल ध्वनि प्रणाली के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
101- विधान सभा
03- विधान सभा
29-अनुरक्षण 20.00

विधान मण्डल पुस्तकालय में संग्रहीत पेपर क्लिपिंग, साधारण तथा असाधारण गजट आदि का डिजिटाइजेशन

विधान मण्डल पुस्तकालय में उपलब्ध विभिन्न विषयों पर संग्रहीत पेपर की क्लिपिंग, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के साधारण तथा असाधारण गजट आदि का डिजिटाइजेशन कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 200 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 200 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
103- विधान मण्डल सचिवालय
03- विधान सभा सचिवालय
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 200.00

विधान सभा की कार्यवाहियों का डिजिटाइजेशन का मोबाइल-एप बनवाया जाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाहियों के डिजिटाइजेशन के लिये प्रयुक्त साफ्टवेयर का मोबाइल-एप बनवाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 72 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 72 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
103- विधान मण्डल सचिवालय
03- विधान सभा सचिवालय
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 72.00

विधान सभा की कार्यवाहियों का डिजिटाइजेशन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाहियों के डिजिटाइजेशन के लिये प्रयुक्त साफ्टवेयर के अनुरक्षण का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 80 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 80 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
103- विधान मण्डल सचिवालय
03- विधान सभा सचिवालय
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 80.00

विधान सभा के समस्त कॉरीडोर में फाल्स सीलिंग एवं खिड़कियों में अपारदर्शी सोलर फिल्म लगाया जाना तथा कक्ष संख्या-10 'ग' को गार्ड रूम के रूप में विकसित किया जाना

विधान सभा के समस्त कॉरीडोर में फाल्स सीलिंग एवं कॉरीडोर स्थित खिड़कियों में अपारदर्शी सोलर फिल्म लगवाया जाना तथा विधान भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या-10 'ग' को गार्ड रूम के रूप में विकसित कराया जाना प्रस्तावित है । इस सम्बन्ध में कॉरीडोर में फाल्स सीलिंग लगवाये जाने के लिये रूपये 39.75 लाख, कॉरीडोर स्थित खिड़कियों में अपारदर्शी सोलर फिल्म लगवाये जाने के लिये रूपये 11.24 लाख तथा कक्ष संख्या-10 'ग' को गार्ड रूम में विकसित किये जाने के लिये रूपये 2.50 लाख अर्थात् उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 53.49 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 53.49 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 53.49

विधान पुस्तकालय के अंग्रेजी खण्ड व भूगर्भ खण्ड के बरामदे में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य

विधान मण्डल पुस्तकालय के अंग्रेजी खण्ड एवं भूगर्भ खण्ड के बरामदे में बुक-रैक्स लगाये जाने सम्बन्धी सिविल कार्य एवं वातानुकूलन सम्बन्धी विद्युत कार्य तथा भूगर्भ खण्ड स्थित अतिरिक्त कक्ष का आधुनिकीकरण कराया जाना प्रस्तावित है । इस सम्बन्ध में बुक रैक्स लगवाये जाने के लिये रूपये 39.11 लाख, वातानुकूलन एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य के लिये रूपये 45.36 लाख तथा पुस्तकालय के भूगर्भ स्थित अतिरिक्त कक्ष के आधुनिकीकरण के

लिये रूपये 20.62 लाख अर्थात् उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 105.09 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 105.09 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 105.09

विधान सभा के अधिष्ठान अनुभाग के बरामदे में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य तथा प्रतिवेदक कक्ष, कक्ष संख्या-49 सिविल कार्य एवं कक्ष संख्या-08 का नवीनीकरण / उच्चीकरण

विधान सभा के अधिष्ठान अनुभाग के साथ संलग्न बरामदे में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य तथा प्रतिवेदक कक्ष, कक्ष संख्या-49 में सिविल सम्बधी कार्य तथा कक्ष संख्या-08 का नवीनीकरण / उच्चीकरण कराया जाना प्रस्तावित है । इस सम्बन्ध में अधिष्ठान अनुभाग के साथ संलग्न बरामदे में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य के लिये रूपये 10.63 लाख, प्रतिवेदक कक्ष में सिविल सम्बन्धी कार्य के लिये रूपये 1.37 लाख, कक्ष संख्या-19 में सिविल सम्बन्धी कार्य के लिये 8.92 लाख तथा कक्ष संख्या-8 के नवीनीकरण / उच्चीकरण के लिये रूपये 11.87 लाख अर्थात् उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 32.79 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 32.79 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 32.79

विधान सभा सचिवालय के उत्तरी प्रसार स्थित सर्वर रूम के पीछे बरामदे को प्रोटोकाल अनुभाग के रूप में विकसित किये जाने तथा अन्य सिविल एवं विद्युत कार्य

विधान सभा परिसर में उत्तरी प्रसार स्थित सर्वर रूप के पीछे बरामदे को प्रोटोकाल अनुभाग के रूप में विकसित किया जाना, कक्ष संख्या-10 में 4 सहायक मार्शल के बैठने हेतु केबिन निर्माण का कार्य, प्रोटोकाल अनुभाग को प्रतिवेदक कक्ष के रूप में एवं कक्ष संख्या-36 को चिकित्सक कक्ष के रूप में विकसित किये जाने, फायर, केबिल डिटेक्टर एवं वातानुकूलन से सम्बन्धित डिफ्यूजर आदि बदले जाने सम्बन्धी विद्युत एवं सिविल कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस सम्बन्ध में उत्तरी प्रसार स्थित सर्वर रूम के पीछे बरामदे को प्रोटोकाल अनुभाग के रूप में विकसित किये जाने के लिये रूपये 4.61 लाख, सहायक मार्शलों के बैठने के लिये केबिन निर्माण के लिये रूपये 3.14 लाख, प्रोटोकॉल अनुभाग के प्रतिवेदक कक्ष के रूप में विकसित किये जाने के लिये रूपये 5.32 लाख, कक्ष संख्या-36 को चिकित्सक कक्ष के रूप में विकसित किये जाने के लिये रूपये 7.83 लाख तथा फायर केबिल डिटेक्टर एवं वातानुकूलन से सम्बन्धित डिफ्यूजर आदि बदले जाने के लिये रूपये 14.98 लाख अर्थात् उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 35.88 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 35.88 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
13-	विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	35.88

अनुदान संख्या 069

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कौशल परक प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 52.26 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 52.26 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम तथा रोजगार	
03- प्रशिक्षण	
003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103- कौशल विकास मिशन (के.100/रा.0-के.)	
42-अन्य व्यय	5226.00

'स्ट्राइव' परियोजनान्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण

'स्किल स्ट्रैन्थनिंग फॉर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हैंसमेंट (स्ट्राइव)' योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चरणबद्ध रूप से उच्चीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 450 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 450 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम तथा रोजगार		
03- प्रशिक्षण		
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान		
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0107- स्ट्राइव परियोजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण (के.100-रा.0 के.)		
42-अन्य व्यय		50.00
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
203- रोजगार		
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0109- स्ट्राइव परियोजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण (के.100-रा.0 के.)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		100.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		300.00
	योग -	400.00
	कुल योग -	450.00

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौघोगिकी विभाग

पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन

पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजनान्तर्गत यू.पी.नेडा के माध्यम से प्रदेश के सुदूर ग्रामों एवं मजरों में सामुदायिक पथ प्रकाश की व्यवस्था के लिये सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 30 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 30 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
02- सौर
101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम
03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत
0306- पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3000.00

अनुदान संख्या 071

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विघालयों के कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराया जाना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विघालयों में अध्ययनरत् कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 01 जोड़ी जूता, 02 जोड़ी मोजा एवं 01 स्वेटर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 300 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
01- प्रारम्भिक शिक्षा
102- अराजकीय प्राथमिक विघालयों को सहायता
03- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विघालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र - छात्राओं को नि:शुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराया जाना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 30000.00

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत एल.पी.जी. कनेक्शन का क्रय

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के परिषदीय / सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विघालयों एवं तहतानियां स्तर के अनुदानित मदरसों में एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1784.26 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1784.26 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
01- प्रारम्भिक शिक्षा
112- विघालयों में मध्याहन भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम
05- मध्याहन भोजन योजनान्तर्गत एल.पी.जी. कनेक्शन का क्रय
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1784.26

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना

पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक-एक छात्र एवं छात्रा को स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु उनके आधार लिक्ड बैंक खाते के माध्यम से प्रतिमाह रूपये 2000 की छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 0.48 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 0.48 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202-	सामान्य शिक्षा	
02-	माध्यमिक शिक्षा	
107-	छात्रवृत्तियां	
20-	पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना	
	21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.48

पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के उपलक्ष में प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक आधुनिक तकनीकी माध्यम से निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 166 पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज का संचालन किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 25 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 25 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202-	सामान्य शिक्षा	
02-	माध्यमिक शिक्षा	
109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	
07-	पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज	
	01-वेतन	1651.00
	03-मंहगाई भत्ता	99.00
	06-अन्य भत्ते	125.00
	08-कार्यालय व्यय	125.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500.00
	योग -	2500.00

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 200 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 200 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
102- विश्वविद्यालयों को सहायता
29- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
2910- वाणिज्य संकाय में भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

विभिन्न विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, बुन्दलेखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 900 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 900 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
30- पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना	
3001- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
3002- महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3003- डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3004- छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3005- डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3006- चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3007- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3008- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3009- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3010- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3011- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3012- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3013- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00

3014 -	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
3015 -	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
	योग -	900.00

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑन-लाईन व्यवस्था

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑन-लाईन व्यवस्था के लिये सॉफ्टवेयर के निर्माण एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202 -	सामान्य शिक्षा	
03 -	विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
800 -	अन्य व्यय	
12 -	महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था	
	42-अन्य व्यय	50.00

प्रदेश के महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में शोध एवं विकास कार्यक्रम

प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 400 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 400 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202 -	सामान्य शिक्षा	
03 -	विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
800 -	अन्य व्यय	
13 -	प्रदेश के महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट	
	42-अन्य व्यय	400.00

अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना

अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजनान्तर्गत सभी लड़कियों को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 21.12 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 21.12 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202 -	सामान्य शिक्षा	
03 -	विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
800 -	अन्य व्यय	
17 -	अहिल्याबाई कन्या नि:शुल्क शिक्षा योजना	
	42-अन्य व्यय	2112.00

विश्वविद्यालयों एवं समस्त कालेजों में फ्री वाई-फाई सुविधा

प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा समस्त कालेजों में फ्री वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
800- अन्य व्यय
18- समस्त कालेजों, विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा
42-अन्य व्यय 5000.00

चयनित विश्वविद्यालयों / संस्थानों को चांसलर एवार्ड

राज्य विश्वविद्यालयों / संस्थानों में शिक्षा, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के लिये माननीय कुलाधिपति द्वारा चयनित विश्वविद्यालय / संस्थानों को चांसलर एवार्ड दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 16.90 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 16.90 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
800- अन्य व्यय
19- विश्वविद्यालयों / संस्थानों को चांसलर एवार्ड
42-अन्य व्यय 16.90

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये समिति का गठन

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा-6 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को विभिन्न सेवायोजनों में समान अवसरों में वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घण्टे व पुरूषों के समान पारिश्रमिक दिलाये जाने के लिये प्रदेश स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230-	श्रम तथा रोजगार	
01-	श्रम	
103-	सामान्य श्रम कल्याण	
09-	महिला श्रमिको के हितों की रक्षा के लिये समिति का गठन	
	04-यात्रा व्यय	2.00
	06-अन्य भत्ते	0.80
	07-मानदेय	3.00
	08-कार्यालय व्यय	0.80
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.40
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.30
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.70
	49-चिकित्सा व्यय	1.00
	योग -	20.00

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

गम्भीर बीमारियों से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को इलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता

गम्भीर बीमारियों से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को इलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के लिये वित्तीय वर्ष 2016-2017 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 811.94 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रुपये 811.94 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2013-	मंत्रि परिषद्	
105-	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
03-	मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
	42-अन्य व्यय	811.94

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

सिपडा योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की वेबसाइट को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना

सिपडा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दिव्यांगजनों को बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर रैम्प, रेलिंग, बाधा रहित शौचालय आदि एवं पूर्व में निर्मित भवनों का सुदृढीकरण करने तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
18- "सिपड़ा" योजनान्तर्गत सार्वजनिक / विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब-साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना
42-अन्य व्यय 10.00

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को विकलांगजन के हितार्थ बनाया जाना

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत प्रदेश के चिन्हित जनपदों के शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को विकलांगजन के लिये बाधा रहित बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
19- "सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना
42-अन्य व्यय 50.00

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत दिव्यांगजन हेतु सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधारहित बनाया जाना

दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये भारत सरकार की सुगम्य भारत अभियान योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिये सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 60 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 60 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

04- "सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना (के.100/रा.0-के.)

24-वृहत् निर्माण कार्य 6000.00

अनुदान संख्या 080

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

मुख्य-मंत्री सामूहिक विवाह योजना

मुख्य-मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अल्पसंखयक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02-	समाज कल्याण	
200-	अन्य कार्यक्रम	
12-	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	25000.00

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी मिशन)

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत नगरीय निकायों में रहने वाले ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी के लाभार्थियों के आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 58.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 58.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
05- अन्य शहरी विकास योजनाये
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0102- प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन (के.60/रा.40-के.)
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 5800.00

दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीब परिवारों को उत्थान के लिये लाभप्रद स्वरोजगार और कौशल के आधार पर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम तथा रोजगार
02- रोजगार सेवाएं
796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0101- दीन दयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 25.00

लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान

प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दिनाँक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनाँक 31 मार्च, 2017 तक की अवशेष राशि में से एक लाख रूपये तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जिसके लिये कुल रूपये 36,000 करोड़ का व्यय अनुमानित है । अनुदान संख्या-81 में इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना
03- लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 100.00

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषकर निर्धन वर्ग को सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 11.55 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 11.55 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4211- परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना
02- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
0201- चिकित्सालयों का सुदढीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1155.00

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत अल्प विकसित क्षेत्रों तथा मलिन बस्तियों में इण्टर लॉकिंग / सी.सी.रोड, नाली निर्माण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेयजल के साथ अन्य सामान्य सुविधाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 160 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 160 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
04- गंदी बस्तियों का विकास
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05- मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 16000.00

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी मिशन)

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत नगरीय निकायों में रहने वाले ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी के लाभार्थियों के आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
05- अन्य शहरी विकास योजनाये
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0122- प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिये आवास (शहरी) मिशन (के.60/रा.40-के.)
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 60000.00

दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीब परिवारों के उत्थान के लिये स्वरोजगार और कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने के साथ ही शहरी बेघर, पटरी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल, ऋण एवं कौशल विकास द्वारा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 54.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 54.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230 - श्रम तथा रोजगार
02 - रोजगार सेवाएं
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0103 - दीन दयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 5450.00

लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान

प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दिनाँक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनाँक 31 मार्च, 2017 तक की अवशेष राशि में से एक लाख रूपये तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जिसके लिये कुल रूपये 36,000 करोड़ का व्यय अनुमानित है । अनुदान संख्याव-83 में इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 3600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 3600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401 - फसल कृषि कर्म
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
08 - लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 360000.00

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट एफेक्टेड तीन जनपदों - चन्दौली, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये केन्द्राँश 50 प्रतिशत तथा राज्याँश 50 प्रतिशत निर्धारित है । प्रदेश के शेष 72 जनपदों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये केन्द्राँश 40 प्रतिशत, राज्याँश 50 प्रतिशत एवं लाभार्थी का अंश 10 प्रतिशत निर्धारित है । इस योजना में उपलब्ध केन्द्राँश का सदुपयोग किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1135.13 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1135.13 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0109- जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.40/रा.50/ला.10-के.+रा.)

18-प्रकाशन	27.50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	7.50
42-अन्य व्यय	1100.13
योग -	1135.13

इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ की स्थापना

इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
18- इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ

24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

इंजीनियरिंग कालेज, मिर्ज़ापुर की स्थापना

इंजीनियरिंग कालेज, मिर्ज़ापुर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
19- इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर

24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के नये कार्यों हेतु पूर्वांचल के लिये रूपये 100 करोड़ तथा बुन्देलखण्ड के लिये रूपये

60 करोड़ की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 160 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 160 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
02- पिछड़े क्षेत्र
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें
24-वृहत् निर्माण कार्य 6000.00
योग - 16000.00

अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क अनुरक्षण नीति, 2013 के अन्तर्गत कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्ग के 80 कि.मी. मार्ग के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
07- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

अंशदायी आधार पर कृषि विपणन की सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में यातायात सुविधा प्रदान कर चीनी मिलों को ताजा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
09- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ.योजना के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ.योजना के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 1345.98 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 1345.98 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
21 - नाबार्ड पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1345.98

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
26 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

निकायों में अवस्थापना / सुविधाओं के विकास के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 63 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 63 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6215-	जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	
02-	मल-जल तथा सफाई	
789-	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	
04-	पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
0401-	नगर निगम	
	30-निवेश/ऋण	2100.00
0402-	नगर पालिका परिषदें	
	30-निवेश/ऋण	2100.00
0403-	नगर पंचायतें	
	30-निवेश/ऋण	2100.00
	योग -	6300.00

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को आर्थिक अनुदान

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले 500 तीर्थ यात्रियों को प्रति यात्री रूपये 1,00,000 की दर से आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 500 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 500 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2250- अन्य सामाजिक सेवायें
101- धमार्थ प्रायोजनों के लिए दान
04- कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 500.00

जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण

जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
05- कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

काशी में वेद साइंस सेन्टर की स्थापना

काशी में वेद साइंस सेन्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 15 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 15 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
06- काशी में वेद साइंस सेन्टर की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 1500.00

अनुदान संख्या 087

सैनिक कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि (कार्पस निधि) में वृद्धि

प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों / उनकी विधवाओं एवं आश्रितों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि का कार्पस बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 10 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 10 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200- अन्य कार्यक्रम
03- सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय
0302- उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि के मुख्यालय की स्थापना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1000.00

अनुदान संख्या 088

संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

फसली ऋण मोचन हेतु पोर्टल व कन्ट्रोल कक्ष की स्थापना

लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण भुगतान योजना के क्रियान्वयन हेतु पोर्टल व कन्ट्रोल कक्ष की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 400 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 400 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2052-	सचिवालय-सामान्य सेवायें	
091-	संलग्न कार्यालय	
07-	लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण भुगतान योजना का क्रियान्वयन	
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00
	42-अन्य व्यय	50.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100.00
	योग -	400.00

अनुदान संख्या 089

संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 86.40 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 86.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2040- विक्री,व्यापार आदि पर कर
800- अन्य व्यय
11- व्यापारी कल्याण बोर्ड
42-अन्य व्यय 86.40

जिला मध्यस्थता प्राधिकरण हेतु

जिला मध्यस्थता प्राधिकरण हेतु हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 379.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 379.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2040- विक्री,व्यापार आदि पर कर
800- अन्य व्यय
12- जिला मध्यस्थता प्राधिकरण
42-अन्य व्यय 379.50

वाणिज्य कर कार्यालय भवनों में लिफ्ट की स्थापना

वाणिज्य कर कार्यालय भवनों में 11 नई लिफ्टों की स्थापना के अन्तर्गत मुख्यालय भवन में दो लिफ्ट, कानपुर में दो, गाजियाबाद में दो, लखनऊ परिसम्भागीय कार्यालय में दो, मेरठ में एक, बरेली में एक एवं वाराणसी में एक लिफ्ट का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 349.25 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 349.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
08- वाणिज्यकर कार्यालय भवनों में लिफ्ट की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 349.25

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

फिल्मों का विकास (डाक्यूमेन्ट्री ऑडियो विजुअल)

प्रदेश के विपुल सांस्कृतिक धरोहर को जनसामान्य के लिये संरक्षित एवं प्रचारित - प्रसारित करने के लिये कला के विविध रूपों एवं प्रदेश के सुविख्यात कलाकारों पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति
800- अन्य व्यय
14- फिल्मों का विकास (डाकूमेन्ट्री आडियों विजुअल)
42-अन्य व्यय 100.00

लोक कलाकारों को वाघ-यंत्रों के क्रय हेतु आर्थिक सहायता

प्रदेश के लोक कलाकारों को उनके कला प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार के लिये वाघ-यंत्रों के क्रय के लिये उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति
800- अन्य व्यय
15- लोक कलाकारों को वाघयंत्रों हेतु अनुदान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 100.00

लोक कलाकारों के उन्नयन के लिये प्रशिक्षण हेतु स्कूलों / विघालयों आदि में कल्चरल क्लब की स्थापना

प्रदेश के लोक कलाओं के संरक्षण एवं उन्नयन तथा लोक संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिये लोक कलाकारों के उन्नयन के लिये प्रशिक्षण हेतु स्कूलों / विघालयों आदि में कल्चरल क्लब की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति
800- अन्य व्यय
16- कल्चरल क्लब की स्थापना
42-अन्य व्यय 100.00

गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण

क्षेत्रीय स्तर पर कलाकारों एवं कलाओं को संरक्षित, संवर्द्धित एवं प्रोत्साहित करने तथा कालाकारों के प्रतिभा के प्रदर्शन के लिये उपयुक्त मन्च उपलब्ध कराये जाने हेतु गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
800- अन्य व्यय
36- गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन का सुदृढीकरण

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन की बाउण्ड्रीवाल, परिसर का मुख्य मार्ग, भवन की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 193 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 193 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
800- अन्य व्यय
37- उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन का सुदृढीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 193.00

मथुरा में "गीता शोध संस्थान" की स्थापना

गीता दर्शन की प्रासंगिकता के दृष्टिगत देश-विदेश के शोधार्थियों के लिये मथुरा में "गीता शोध संस्थान" की स्थापना की जानी प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
800- अन्य व्यय
38- मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

अनुदान संख्या 094

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत नहर पटरियों पर निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
15- नहर पटरियों को गड्ढामुक्त करने हेतु कार्यान्वयन
1501- मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त व्यवस्था
29-अनुरक्षण 30000.00

मध्यम सिंचाई की परियोजायें

मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत नहर पटरियों पर निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
15- नहर पटरियों को गड्ढामुक्त करने हेतु कार्यान्वयन
1501- मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त व्यवस्था
29-अनुरक्षण 20000.00

केन बेतवा लिंक नहर परियोजना

मुख्य सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 100 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 100 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
10- केन बेतवा लिंक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- सम्बद्ध कार्य
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

चौधरी चरण सिंह नलकूप निरीक्षण भवन, गोरखपुर का सुदृढ़ीकरण

मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में चौधरी चरण सिंह नलकूप निरीक्षण भवन, स्टॉफ क्वाटर व किचन आदि के पुनरोद्धार के कार्यों की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 31.91 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 31.91 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
95- जनपद गोरखपुर स्थित चौधरी चरण सिंह नलकूप निरीक्षण भवन, स्टाफ क्वाटर व किचन आदि के पुनरोद्धार के कार्यों की परियोजना (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
09- भवन
0906- पुनर्स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 31.91

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की योजना

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 16511.42 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 16511.42 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	बाढ़ नियंत्रण	
103-	सिविल निर्माण कार्य	
01-	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102-	त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.+रा.)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1700.00
0103-	त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए 0 आई 0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00
06-	नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें	
0603-	निर्माण की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
0605-	पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
07-	अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
08-	तट बंधों का निर्माण	
0840-	तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	8311.42
09-	कटाव निरोधक योजनायें	
0984-	नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
23-	नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	3100.00
25-	सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
	योग -	16011.42
03-	जल निकास	
052-	मशीनरी तथा उपस्कर	
03-	नवीन सम्पूर्ति	
	26-मशिनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	40.00
04-	मरम्मत	
	26-मशिनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	30.00
05-	गाड़ी भाड़ा	

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		30.00
	योग -	100.00
103- सिविल निर्माण कार्य		
03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)		
0305- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		200.00
07- जल निकास योजना (नावार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		200.00
	योग -	400.00
	कुल योग -	16511.42

अनुदान संख्या 095

सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

प्रशासकीय जाँच हेतु गठित समिति के लिये विविध व्यय

मध्यम सिंचाई की परियोजना के अन्तर्गत गोमती नदी के चैनेलाइजेशन परियोजना की गुणवत्ता, परियोजना में देरी तथा अनियमित रूप से व्यय की गयी धनराशि की जाँच हेतु जाँच समिति गठित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रूपये 32 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में रूपये 32 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2701-	मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	
02-	मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	
001-	निदेशन तथा प्रशासन	
08-	प्रशासकीय जांच हेतु गठित समिति के लिए विविध व्यय	
	01-वेतन	20.00
	03-मंहगाई भत्ता	0.50
	04-यात्रा व्यय	4.00
	06-अन्य भत्ते	2.00
	08-कार्यालय व्यय	2.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.25
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.75
	42-अन्य व्यय	0.50
	योग -	32.00